



## कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

क/एफ-169/स्टे.आयु./2022-23/।।५४०

भिलाई, दिनांक ..२२.।।१.।२०२२

// आदेश //

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न प्रकृति के कार्य निविदा के माध्यम से एजेंसी नियुक्त कर कराये जाते हैं। एजेंसी को भुगतान शासन के नियमों के अंतर्गत आयकर, जी.एस.टी., कर्मकार कल्याण उपकर की राशि कटौती कर किया जाता है। उक्त कटौती की गई राशि शासन के संबंधित विभाग के खाते में निर्धारित समयावधि (माह के 7 एवं 10 तारीख) के अंदर जमा किया जाना निर्धारित है।

2. रवेच्छानुदान अंतर्गत माननीय सांसद एवं विधायक द्वारा हितग्राहियों को आर्थिक सहयोग जनसंपर्क निधि से प्रदत्त की गई सहयोग स्वीकृत प्राप्त राशि को समय-सीमा में जारी/भुगतान किये जाने हेतु श्री ए.के. द्विवेदी, अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69(4) का उपयोग करते हुए आयुक्त की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(रोहित व्यास)

भा.प्र.से.

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

भिलाई, दिनांक २२.।।१.।२०२२

पृ.क/एफ-169/स्टे.आयु./2022-23/।।५४०

प्रतिलिपि:-

1. महापौर/सभापति महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. श्री ए.के. द्विवेदी, अपर आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त, I/II, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता, जोन-1,2,3,4 एवं 5, जलकार्य/वाहन/स्टोर्स/उद्यान/कम्प्युटर/भवन संधारण, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
6. लेखाधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को निगम के वेबसाइट (आदेश फाईल) में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
8. संबंधित विभाग प्रमुख ..... नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई